प्रो. राजीव कुमार
सदस्य सचिव
Prof. Rajive Kumar
Member Secretary

सत्यमेव जयते

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070
दूरभाष 011-26131497
ई मेल : ms@aicte-india.org
ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A Statutory Body of the Govt. of India)
Ministry of Human Resource Development, Govt. of India
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110067
Phone: 011-26131497
E-mail: ms@aicte-india.org

F. No. 1-104/AICTE/PGRC/Antiragging/2021

Date: 22 .11.2021

Subject: Revised procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit-reg

Dear Sir/Madam,

As you are aware, in pursuance to the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India and in compliance of All India Council for Technical Education (Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institution, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education) Regulations 2009, it is compulsory for each student and his/her parent/Guardian to submit an online undertaking each academic year at either of the two designated web sites, namely, www.antiragging.in and www.amanmovement.org.

As part of UGC's initiative toward reduction of compliance burden of its stakeholders, UGC has revised the procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit (A copy of the revised procedure is enclosed).

The revised procedure is as follows:

Step 1: A student will submit his/her details on the same web sites (**www.antiragging.in and www.amanmovement.org**) as before; read and confirm that he/she and his/her parents/Guardians have read and understood the AICTE regulations on curbing the menace of ragging. He / She will confirm & agree that he/she will not engage in ragging in any form. (**Step 1 is the same like before**).

Step 2: The student will receive an e-mail with his/her registration number and a web link. The student will forward the link to the e-mail of the Nodal Officer in his/her university/college. (**please note that the student will not receive pdf affidavits and he/she is not required to print & sign it as used to be the case earlier**).

Step 3: The Nodal Officer in the University/College can click on the link of any forwarded e-mails that he/she will received from any student of his/her college to get the list of those students who have submitted Anti Ragging Affidavits/Undertakings in his/her college. The list will be updated every 24 hours.

Universities and Colleges are requested to insert **a mandatory column** in their university/colleges admission form as per the given format:

Anti Ragging Undertaking Reference No.:	

You are also requested to display the e-mail address and contact number of the Nodal Officer of Anti Ragging in their website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel and Common facilities etc. to create awareness about the revised procedure for students to file online Anti Ragging Affidavit.

In addition to this, you are requested to create e-admission booklet or brochure, e-Leaflets giving details on guidance in case of ragging to admitted students instead of print/hard copy.

In view of the above, you are requested to make necessary compliance on the above revised procedure please.

Yours faithfully,

22-11-21

(Prof. Rajive Kumar)
Member Secretary

The Vice-Chancellor/Principal/Director of all AICTE approved Universities/Institutions

Encl: As above.

The Joint Secretary, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax: 011-2323 8858
E-mail: [illegible]

अ०शा०वि०स० 3-2/2021 (ए.आर.सी)

अक्तूबर, 2021

SPEED POST

विषय: विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया।

प्रिय महोदया/महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं, सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए विनियम, 2009" में अधिसूचित किया है जिसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता/अभिभावक को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में www.antiragging.in और www.amanmovement.org में से किसी एक वेबसाइट पर ऑनलाइन वचन पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

इस प्रक्रिया को सहज करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है।

संशोधित प्रक्रिया निम्नवत हैं:

चरण 1: विद्यार्थी अपना विवरण पूर्ववत (www.antiragging.in और www.amanmovement.org) वेबसाइट पर जमा करेंगे और पढ़कर इसकी पुष्टि करेंगे कि वे और उनके माता-पिता/अभिभावकों ने रैगिंग को रोकने के लिए विनियम को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है, वे इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि वे किसी भी रूप में रैगिंग में शामिल नहीं होंगे। (चरण 1 पहले जैसा ही है)।

चरण 2: विद्यार्थी को उसकी पंजीकरण संख्या और एक वेब लिंक के लिए एक ई-मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के ई-मेल पर लिंक अग्रेषित करेगा। (कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था)।

चरण 3: विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के नोडल अधिकारी उन विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने महाविद्यालय में रैगिंग रोधी शपथ पत्र/वचन पत्र जमा किए हैं, अपने महाविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी से प्राप्त किसी भी अग्रेषित ईमेल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, सूची हर 24 घंटे में अद्यतन की जाएगी।

जारी.../-

CONTINUATION SHEET

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में एक अनिवार्य कॉलम डालें:

रैगिंग रोधी शपथ की संदर्भ संख्या:	

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपने विश्वविद्यालय /महाविद्यालय के रैगिंग रोधी नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क हेतु टेलीफोन नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास, और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें ताकि विद्यार्थियों में ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रवेश-पुस्तिका/विवरणिका आदि की प्रिन्ट/हार्ड कॉपी के बजाय उनकी सॉफ्ट कॉपी तथा साथ ही रैगिंग सम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु ई-लिफ्लेट भी प्रकाशित की जाए।

सादर,

भवदीय,

(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य

प्रतिलिपि:

1. सभी उच्चतर शिक्षा नियामक निकाय (संलग्न सूची के अनुसार)।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सुश्री जसलीन कौर, अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, कमरा नंबर 221, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
4. डॉ० दीक्षा राजपूत, उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (यूजीसी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)।
5. प्रो० राज कचरू, 689, सेक्टर-23, गुड़गांव, हरियाणा-122 017 इसे दोनों वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए: (1) वेबसाइट: www.antiragging.in (2) www.amanmovement.org

(डॉ० अर्चना ठाकुर)

संयुक्त सचिव